राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 14 फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 295, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

जब नल लगे, टंकी बनी फिर कहां गया पानी..! संघर्ष की मीनार से जूझती प्यासों की कहानी..03

बलिया में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह और लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन..04

मणिपुरः कर्फ्यू के बीच उखरुल में दो और घर जलाए गए, गोलीबारी; भीड़ ने थाने पर धावा बोला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- हिंसाग्रस्त मणिपुर के उखरुल ज़िले के लितान सारेखोंग गांव में गुरुवार (12 फरवरी) को तनाव और बढ़ गया, जब अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बावजूद दो और घरों में आग लगा दी गई. इसके बाद इलाके में गोलीबारी भी हुई. बाद में तंगखुल नगा महिलाओं के एक समूह ने, यह आरोप लगाते हुए कि सुरक्षा बल हालात पर काबू नहीं पा सके हैं, लितान पुलिस थाने पर धावा बोलने की कोशिश की. पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया. ज्ञात हो कि हिंसा की शुरुआत शनिवार (7 फरवरी) को तब हुई, जब कथित तौर पर एक तंगखुल नगा व्यक्ति के साथ कुकी-जो समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की. रविवार शाम पत्थरबाज़ी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए. इसके बाद रात में आगजनी की घटनाएं हुईं. हिंसा के दौरान कथित तौर पर गोलियां चलाई गईं. घटना के बाद डीएम आशीष दास ने 8 फरवरी शाम 7 बजे से इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. लेकिन कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए अज्ञात संदिग्धों ने मंगलवार को लितान गांव में 50 घरों में आग लगा दी, जिससे दोनों समुदायों के बीच हिंसा और भड़क गई. इसके बाद प्रशासन ने ज़िले में पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अज्ञात लोगों ने लितान सारेखोंग गांव में दो घरों को आग के हवाले कर दिया. मणिपुर फायर सर्विस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण दोनों घर जलकर राख हो गए. अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 8.50 बजे सशस्त्र बदमाशों और पुलिस के बीच करीब 30 मिनट तक भारी गोलीबारी हुई. इस बीच, तंगखुल नगा महिलाओं ने लितान पुलिस थाने पर धावा बोलने की कोशिश की और कानून-व्यवस्था संभालने में सुरक्षा बलों की विफलता का आरोप लगाया. पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और इलाके में स्थिति नियंत्रण में है।

इस बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को 57 माउंटेन डिवीजन (रेड शील्ड डिवीजन) के मेजर जनरल सुभंकर बसु से मुलाकात कर राज्य में शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की. गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के

अनुसार, मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस चर्चा का केंद्र समन्वित प्रयासों के जरिए स्थिरता, जन-सुरक्षा और कानून के राज को सुनिश्चित करना रहा - जो प्रधानमंत्री के शांति और विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सरकार में भागीदारी को लेकर विधायक के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन जारी

इधर, गुरुवार को वैफेई जनजाति की महिलाओं ने एक विरोध रैली निकाली और कुकी-जो विधायक एलएम खाउते के प्रति नाराज़गी जताई, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इंफाल गए थे. एलएम खाउते वैफेई समुदाय से हैं, जो मणिपुर के कुकी-जो जनजातियों में से एक है. बता दें कि हाल ही में पिछले तीन साल से जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुर में एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के एक साल बाद राज्य में नई सरकार बनी है. भाजपा नेता युमनाम खेमचंद नए मुख्यमंत्री बने. नई सरकार में तीन कुकी-ज़ो विधायकों के भागीदारी को लेकर भी नागरिक समाज संगठनों में नाराजगी है।

यह प्रदर्शन एक नागरिक संगठन वैफेई वीमेन एसोसिएशन (वीडब्ल्यूए) के आह्वान पर हुआ. प्रदर्शनकारी सुबह डोरकास वेंग, चूड़ाचांदपुर स्थित वैफेई पीपल्स काउंसिल हॉल में जुटे और विधायक के आवास की ओर मार्च किया. ज़ोमी मदर्स एसोसिएशन (जेडएमए) - जो कुकी और ज़ोमी समुदायों की उप-जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है - के सदस्यों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने जेडएमए सदस्यों से कहा कि यह वैफेई समुदाय का आंतरिक मामला है. विधायक के घर के प्रवेश द्वार के पास रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कुछ राउंड फायर किए. दोपहर करीब 12.45 बजे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया।

मेघालय अवैध कोयला खननः 30 श्रमिकों की मौत के बाद एनजीटी ने सीपीसीबी, मुख्य सचिव को नोटिस भेजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- मेघालय में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान के संचालन और हालिया विस्फोट के बाद हुई मौतों का स्वतःसंज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मेघालय सरकार को नोटिस जारी किए हैं. 5 फरवरी को पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के माइनसंगट-थांग्स्को इलाके में 100 फीट गहरी एक अवैध कोयला खदान में विस्फोट हुआ, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई. 10 फरवरी को अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक मृतक संख्या 18 से बढ़कर 30 हो गई है. 6 फरवरी को जारी अपने आदेश में भारत की शीर्ष हरित अदालत एनजीटी ने कहा कि (तत्कालीन) 18 मौतों के साथ 5 जनवरी को हुई यह घटना, जुलाई 2021 के बाद खनन से जुड़ी सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है. अदालत ने यह भी नोट किया कि कार्यकर्ताओं के अनुसार, राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में खदान मालिक अप्रैल 2014 में एनजीटी द्वारा कोयले के खनन और उसके परिवहन पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से काम करते रहे - जिसे बाद में सुप्रीम

कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

ट्रिब्यूनल ने कहा, 'उपरोक्त मामला एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन और अनुपालन न होने को दर्शाता है, जिसमें वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन शामिल है.' ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यह घटना 'पर्यावरण के नियमों के पालन और तय कानून के नियमों के कार्यान्वयन से जुड़े गंभीर मुद्दे' उठाती है. मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने मेघालय के मुख्य सचिव शकील पी. अहमद, दिल्ली स्थित सीपीसीबी और शिलांग स्थित उसके एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, तथा पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला के उपायुक्त मनीष कुमार को नोटिस जारी किए. संबंधित प्राधिकरणों को 12 मई तक ट्रिब्यूनल के समक्ष जवाब दाखिल करना होगा।

इसके बाद 19 मई को इस मामले की सुनवाई होगी.

बता दें कि मेघालय में एनजीटी द्वारा साल 2014 में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी रैट होल खदानों में खनन जारी है. रैट होल खदान चूहों के बिल जैसी होती है, जिसमें संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिसके भीतर मजदूर जाते हैं और कोयला निकालकर लाते हैं. क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के कारण वर्षों से कई जानलेवा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद यह सिलसिला जारी रहा है. तब ट्रिब्यूनल ने मेघालय सरकार - उसके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक - दोनों से कहा था कि 'पूरे मेघालय राज्य में रैट-होल/अवैध खनन तत्काल रोका जाए और इस ट्रिब्यूनल के आगे के आदेश तक कोयले का कोई भी अवैध परिवहन न हो.' एनजीटी ने इस आदेश के पालन न होने पर बार-बार चिंता भी जताई है. 2024 में नगालैंड में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में छह मजदूरों की मौत के बाद एनजीटी ने नगालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग सहित अन्य को इस उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई थी।

संक्षिप्त ख़बरें

अधिगृहीत जमीन की पैमाइश में 'पिक एंड चूज' का आरोप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फाफामऊ प्रयागराज इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा एसडीएम शाहगंज जौनपुर से जौनपुर-अकबरपुर फोर लेन के तहत आरसीसी सुपरमार्ट बिल्डिंग बनाने के लिए गांव गुरैनी, खेतासराय की अधिगृहीत जमीन की मनमानी पैमाइश के आरोप में दाखिल याचिका पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों अधिकारी बताएं कि 'पिक एंड चूज' की नीति क्यों अपनाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति कुणाल रवि की खंडपीठ ने रामआसरे व दो अन्य की याचिका पर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। याचीगण का कहना है कि उसके खेत में 12 मीटर के बजाय विपक्षी सीमा पुत्री सलाहुद्दीन को फायदा पहुंचाने के लिए 24 मीटर की पैमाइश कर ली गई। कोर्ट ने कहा, 'कोई आदेश करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजर व एसडीएम की रिपोर्ट मंगा लेना उचित होगा।' याचीगण के लिए अधिवक्ता अभिषेक यादव ने बहस की। बताया कि याचीगण ने एसडीएम शाहगंज को 12 नवंबर 2025 को आपत्ति दी है लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। याची की आराजी संख्या 78 का अधिग्रहण किया गया है। जमीन की पैमाइश में भेदभाव व पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई है।

गैंग्सटर एक्ट में गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, याची ने किया था प्रतिशोध में कार्रवाई का दावा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंग्सटर एक्ट में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजय भनोट तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश पुरानी बस्ती निवासी उस्मान की याचिका पर दिया है।कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख तक अथवा धारा 173 सीआरपीसी/193 बीएनएसएसएस के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने तक जो भी पहले हो 21 सितंबर 2025 को दर्ज एफआइआर के आधार पर याची की गिरफ्तारी स्थगित रहेगी। उस्मान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंग्सटर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी आदेश में उद्धत की है कि जब कोई आरोपित प्राथमिकी या आपराधिक केस कार्यवाही रद करने के लिए आता है तो अदालत को एफआईआर ध्यान से देखना चाहिए। सभी पहलुओं विचार करना चाहिए। अदालत को यह देखना चाहिए कि क्या आरोप वास्तविक हैं अथवा सिर्फ प्रतिशोध के लिए लगाए गए हैं। याची के अधिवक्ता ने प्रतिशोध में कार्रवाई का दावा किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब यह प्रकरण अन्य पीठ सुनेगी।

NEET छात्रा मौत केसः CBI ने दर्ज की FIR, SIT से टेकओवर करेगी सभी दस्तावेज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में बड़ा अपडेट है. सूत्रों से के अनुसार सीबीआई ने बिहार पुलिस से इस केस को टेकओवर कर लिया है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बेहद चर्चित मामले को लेकर राजधानी के चित्रगुप्त नगर थाने में केस दर्ज किया गया था. एजेंसी ने इस प्रकरण को स्पेशल केस के रूप में दर्ज करते हुए केस नंबर 7s/26 आवंटित किया है. प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही मामले की जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत

बता दें कि पिछले जनवरी माह में जहानाबाद की निवासी और राजधानी के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर के नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. इस मौत के बाद से पूरे राज्य में पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया था. परिजनों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

एसआईटी का गठन

परिजनों के आरोप के लगाने के बाद से बिहार पुलिस की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया था. जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी. इस घटना में तब अचानक बड़ा मोड़ आ गया था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी. इसमें मृतका के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होने से इंकार नहीं किया गया था।

डीएनए मैच नहीं होने की खबर

एसआईटी को अपनी जांच के क्रम में मृतका के इनरवियर पर स्पर्म के अवशेष भी मिलने की खबर सामने आई थी. हालांकि स्पर्म के डीएनए मैच को लेकर के उसके रिश्तेदारों के साथ ही कई अन्य के सैंपल को भी लिया गया था. लेकिन अब तक की मिली जानकारी के अनुसार किसी का भी डीएनए मैच नहीं होने की खबर है. इस बेहद चर्चित मामले में राजधानी के कई अस्पताल भी कटघरे में खड़े हो गए थे. इसके अलावा लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा था. कई राजनीतिक दलों ने राजधानी की सड़कों पर उतर कर अपना आक्रोश भी जताया था. मृतका के परिजनों ने डीजीपी से भी मुलाकात की थी. मुलाकात के अगले ही दिन राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की अनुशंसा किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी।

मंत्री के बेटे की संलिप्तता का आरोप

इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार के वर्तमान बजट सत्र में भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रावड़ी देवी ने सीधे-सीधे यह आरोप लगाकर के सनसनी फैला दिया था कि इस घटना में किसी मंत्री के बेटे की संलिप्तता हो सकती है. जिसके कारण पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है. इसके जवाब में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो शेयर करें. सरकार 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी।

जाति जन्म से तय होती है, धर्म परिवर्तन या अंतरजातीय विवाह से नहीं बदलतीः इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी/एसटी) (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है और धर्म परिवर्तन या अंतरजातीय विवाह करने पर भी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है. अदालत एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ अत्याचार के मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने गैर-अनुसूचित जाति के पुरुष से शादी की थी. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया. घटना में स्वयं शिकायतकर्ता सहित तीन लोग घायल हुए थे. दरअसल, अपील में एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती दी गई थी. उक्त आदेश में आरोपियों को आईपीसी की धारा 323, 506, 452, 354 तथा एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में तलब किया गया था।

समन आदेश को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि शिकायतकर्ता भले ही जन्म से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से संबंधित हैं और मूल रूप से पश्चिम बंगाल की निवासी हैं, लेकिन जाट समुदाय के व्यक्ति से विवाह करने के बाद उसने अपनी मूल जाति का दर्जा खो दिया है. इस संबंध में 10 फरवरी के एक आदेश में जस्टिस अनिल कुमार-दशम ने आरोपी दिनेश और आठ अन्य लोगों द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया. उनका तर्क था कि विवाह के बाद महिला अपने पति की जाति में सम्मिलित हो जाती है, इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत इस मामले में की गई कार्रवाई अनुचित है. अपील में यह भी कहा गया कि इस मामले में आरोपियों द्वारा पहले दर्ज कराई गई एफआईआर के प्रतिशोध में यह शिकायत दर्ज उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है. हालांकि, राज्य के वकील ने इस आधार पर उनकी दलील का विरोध किया कि शिकायत में वर्णित घटना और एफआईआर में बताई गई घटना एक साथ घटी थीं; दोनों घटनाएं एक ही तारीख को हुई थीं. इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं का यह दावा कि वर्तमान शिकायत जवाबी कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई है, निराधार है. हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान तथा चोट के चिकित्सीय प्रमाणों पर विचार करने के बाद ही आरोपियों को तलब किया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मामले में क्रॉस-केस (विपरीत पक्ष द्वारा दर्ज मामला) होना शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता. जहां तक विवाह के बाद जाति बदलने के तर्क का प्रश्न है, कोर्ट ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी जाति वही रहती है जो जन्म से निर्धारित होती है. विवाह से भी किसी व्यक्ति की जाति में परिवर्तन नहीं होता. अतः यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है. अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी महिला का विवाह यदि दूसरी जाति में हो जाए, तब भी उसकी मूल जाति समाप्त नहीं होती. इन सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों की आपराधिक अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को बरकरार रखा है।

बेगूसरायः दिवाली की वो खौफनाक रात...भाई-भाभी और भतीजी का बेरहमी से कत्ल; 6 साल बाद कातिल विकास को मिली फांसी की सजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बेगूसराय कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई है. वहीं सेशन कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार में खुशी की लहर है. 2019 में दिवाली की रात सिंघौल थाना क्षेत्र के मचहा गांव में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई थी. कोर्ट ने मुख्य आरोपी विकास कुमार उर्फ विकास सिंह को फांसी की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेऊर जेल में बंद दोषी को मृत्युदंड का आदेश दिया. इस फैसले के साथ ही जिले में न्यायिक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया है. बेगूसराय में पहली बार किसी दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार, चार बीघा जमीन विवाद को लेकर आरोपी विकास सिंह ने वर्ष 2012 में अपने चाचा अरुण सिंह की हत्या कर दी थी. इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा पहले ही मिल चुकी है. वर्ष 2017 में मृतक अरुण सिंह की पत्नी चाची मुन्नी देवी की हत्या का मामला भी न्यायालय में लंबित है. बताया जाता है कि इन दोनों मामलों में विकास का भाई मृतक कुणाल सिंह प्रमुख गवाह थे. आरोप है कि विकास सिंह गवाही नहीं देने को लेकर अपने भाई पर दबाव बना रहा था. इनकार करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2019 में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया. घटना को दिवाली की रात को अंजाम दिया गया था।

भाई, भाभा और भतीजी को मार दी थी गोली

विकास सिंह ने 27 अक्टूबर 2019 की रात करीब 10 बजे अपने भाई कुणाल सिंह, भाभी कंचन देवी और 17 वर्षीय भतीजी सोनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद घर से निकलते समय उसका सामना भतीजे शिवम कुमार से हुआ था. उसने शिवम के सीने पर पिस्तौल सटाकर गोली चलाई थी, लेकिन संयोगवश उसकी जान बच गई. शिवम जब घर के अंदर गया तो उसने अपने माता-पिता और बहन को खून से लथपथ पाया था।

जिले में फैल गई थी दहशत

ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे जिले में दहशत फैल गई थी. इस चर्चित मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राम प्रकाश यादव ने प्रभावी पैरवी की. अदालत में बाबू साहब सिंह, विजय सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, सत्यम कुमार, प्रत्यक्षदर्शी शिवम कुमार और जांच अधिकारी मनीष कुमार सिंह समेत कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी विकास सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई हैं. इस फैसले ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध करने वालों के हाथ कानून से कभी लंबे नहीं हो सकते हैं. बेगूसराय न्यायालय का यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भी एक सख्त संकेत माना जा रहा है।

जबलपुर में अवैध दुकान गिराने पहुंचा बुलडोजर, देखते ही दुकानदार को आया अटैक... हो गई मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मध्यप्रदेश के जबलपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हार्ट अटैक आने से एक दुकानदार की मौत हो गई. बताया जाता है कि बुलडोजर कार्रवाई के बीच में दुकान संचालक मिंटू अग्रवाल को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया. कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद रात में युवक का पोस्टमार्टम कराया गया. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. घटना बरगी थाना क्षेत्र की है. जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बरगी थाना क्षेत्र के कस्बे में पटेल तिराहे पर प्रशासनिक तहसील कार्यालय और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. मौके पर तीन जेसीबी मशीनें लगाई गई थीं और करीब 40 साल पुरानी दुकानों को हटाने की प्रक्रिया जारी थी. इसी दौरान मिंटू अग्रवाल अपनी दुकान से सामान हटवा रहे थे. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान बार-बार समय को लेकर घोषणा की जा रही थी और दुकानदार के द्वारा 10 मिनिट का समय मांगा जा रहा था. इसी बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कपड़े की दुकान चलाता था मृतक

मृतक मिंटू अग्रवाल की उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष बताई जा रही है और वह बरगी क्षेत्र के निगरी गांव का निवासी था. अपने भाई के साथ मिलकर कपड़े का व्यवसाय करता था. जानकारी के अनुसार, उक्त स्थान पर उनकी दुकान करीब 12 वर्षों से संचालित थी, जो राजा पटेल से किराए से लिए हुए. इस पूरे मामले में दुकान मालिक के द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का स्टे आर्डर दिखाने का प्रयास किया गया था, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्टे ऑर्डर देखने से इंकार कर दिया।

व्यापारी और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन

वहीं मौत की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हजारों की संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. आक्रोशित लोगों ने बरगी थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया गया. हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस के वरिष्ठ

अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों व व्यापारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

व्यापारियों का आरोप, तहसीलदार ने नहीं देखा स्टे आर्डर

परिजनों और व्यापारियों का आरोप है कि चंदा बाई नामक महिला द्वारा प्रस्तुत स्टे ऑर्डर को नायब तहसीलदार ने स्वीकार नहीं किया. इस आरोप को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा है. साथ ही पटवारी और पूर्व सरपंच संतोष सिंह परिहार उर्फ नन्हू और ऋषि पांडे उर्फ पप्पू को हत्या का दोसी ठहराया है. मृतक के परिजनो का कहना है दबंग और रसूख बाले लोगो के कहने पर ही प्रशासन के द्वारा यह किया जा रहा है. मृतक के भाई मनोज अग्रवाल ने बताया कि उनकी कपड़े की दुकान किराए की थी और वह प्रशासन के निर्देशानुसार दुकान खाली कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से बार-बार पाँच मिनट का समय है कहकर दबाव बनाया जा रहा था. मौके पर लगभग 250300 लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग सामान लोड कर रहे थे. तीन-चार पिकअप वाहन लगे थे. मनोज के अनुसार, मौके पर टीआई, सीएसपी, तहसीलदार, पटवारी और पुलिस बल मौजूद था. उनका कहना है कि लगातार दबाव के कारण उनके भाई घबरा गए. उन्हें पास के गोदाम में बैठने भेजा गया, लेकिन वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण उनकी मौत हो गई.परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

सीएसपी ने कहा- मामले की होगी जांच

बरगी सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही थी. इसी दौरान मिंटू अग्रवाल की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. परिजनों ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें लगाए गए आरोपों की विधिवत जांच की जाएगी. सीएसपी ने कहा कि स्टे ऑर्डर और संबंधित जमीन के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी. तहसील कार्यालय के पत्राचार और रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे।

पाखंड की ओट में छुपा दानः क्या यह सच में पुण्य है?

[सुनहरे आवरण में लिपटा काला सचः दान या छल?]
[क्या गलत कमाई का दान कभी पुण्य बन सकता है?]

मनुष्य की आत्मा जब अपने कर्मों का निष्पक्ष लेखा-जोखा करती है, तब सबसे पहले यह प्रश्न उसके अंतर्मन में गूँजता है– क्या धन की पवित्रता से बड़ा कोई नैतिक मूल्य हो सकता है? आज के युग में, जब अनेक लोग छल, कपट और अनैतिक तरीकों से अर्जित धन को धार्मिक कार्यों में लगाकर स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रवृत्ति की गंभीर समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। यह विषय केवल दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व की कसौटी है। भव्य मंदिर, विशाल दानशालाएँ और चमकदार आयोजन हमारी आँखों को चकाचौंध कर सकते हैं, किंतु उनके पीछे छिपा अन्याय प्रायः दृष्टि से ओझल रह जाता है। यही भ्रम धीरे-धीरे हमारी चेतना को शिथिल करता है और हमें नैतिक पतन की खाई की ओर धकेल देता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत कमाई को अच्छे कार्यों में लगा रहा है, तो कम से कम वह समाज का हित तो कर ही रहा है। परंतु यह सोच न केवल सतही है, बल्कि अत्यंत भ्रामक भी है। जिस धन की नींव शोषण, धोखा और भ्रष्टाचार पर रखी गई हो, वह कभी भी सच्चे कल्याण का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसा धन पीड़ितों की आहों, आँसुओं और असहनीय पीड़ा से जुड़ा होता है। जब उसी धन से दान किया जाता है, तब वह सहायता नहीं, बल्कि अन्याय का एक नया रूप बन जाता है–अन्याय का पुनर्वितरण। समाज को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सच्ची भलाई का मार्ग केवल शुद्ध और न्यायपूर्ण साधनों से होकर ही गुजरता है।

भारतीय दर्शन सदैव साधन और साध्य– दोनों की शुद्धता पर बल देता आया है। उपनिषद, गीता और स्मृतियाँ एक स्वर में यह उद्घोष करती हैं कि अधर्म से अर्जित धन कभी भी पुण्य का स्रोत नहीं बन सकता। श्रीमद्भगवद्गीता में सात्त्विक, राजस और तामस दान का विवेचन करते हुए शुद्ध भावना और ईमानदार कमाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मनुस्मृति भी यही प्रतिपादित करती है कि अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त संपत्ति आत्मिक उन्नति में बाधक बनती है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, न कि उसे अपने पापों पर आडंबर का आवरण चढ़ाने की अनुमति देना। इतिहास स्वयं इस निर्विवाद सत्य का साक्षी है कि अपराध और दान का संगम कभी भी महानता की रचना नहीं कर सका। अनेक शासकों और धनाढ्य व्यक्तियों ने अस्पताल, विद्यालय और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, परंतु उनके अत्याचार, अन्याय और निर्दयता उन्हें कभी महान नहीं बना सके। जनता के खून-पसीने और पीड़ा से अर्जित धन से खड़े किए गए भवन केवल निर्जीव पत्थर के ढाँचे होते हैं, जिनमें नैतिकता और संवेदनशीलता की आत्मा का सर्वथा अभाव होता है। समय ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आचरण और कर्मों से आँका जाता है, न कि उसके दान की भव्यता और राशि से।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत कमाई से किया गया दान आत्म-शुद्धि का एक झूठा भ्रम उत्पन्न करता है। अनेक लोग इसे अपने अपराध-बोध से मुक्ति पाने का सरल उपाय मान लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि कुछ धन दान कर देने मात्र से उनके पाप धुल जाएँगे और उनका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा। किंतु यह मानसिकता आत्म-सुधार नहीं, बल्कि आत्म-छल और आत्म-प्रवंचना का रूप है। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव होता है, जब मनुष्य अपने गलत मार्ग को त्यागकर सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो। बिना आचरण बदले किया गया दान आत्मा को अस्थायी संतोष देने वाला एक छलावा मात्र बनकर रह जाता है। समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक होता है। जब बेईमान लोग बड़े-बड़े दानों के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित और हताश अनुभव करता है। इससे समाज का नैतिक संतुलन डगमगाने लगता है और युवाओं को यह गलत संदेश मिलने लगता है कि सफलता का मार्ग सत्य और परिश्रम से नहीं, बल्कि चतुराई, छल और अनैतिकता से होकर जाता है। धीरे-धीरे यही सोच पूरे सामाजिक ताने-बाने को खोखला कर देती है और परस्पर विश्वास की नींव को गहराई से हिला देती है।

वास्तव में सच्चा दान वही होता है, जो त्याग, करुणा और पवित्र परिश्रम की भूमि पर अंकुरित होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय और साधनों के बावजूद दूसरों की पीड़ा को समझकर सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसका योगदान आकार में छोटा होकर भी मूल्य में महान बन जाता है। उसमें अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा की भावना होती है। ऐसा दान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और नैतिक मूल्यों की जड़ों को और अधिक सुदृढ़ करता है। इसके विपरीत, गलत कमाई से किया गया दान प्रायः दिखावे, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की अतृप्त लालसा से प्रेरित होता है, जिसमें संवेदना से अधिक स्वार्थ छिपा होता है। समाधान का मार्ग पूर्णतः स्पष्ट और निर्विवाद है। हमें दान की मात्रा और भव्यता से अधिक उसके स्रोत और भावना की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समाज का दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार और अनैतिकता से अर्जित धन को सम्मान देने के बजाय ईमानदार, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ जीवन को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित करे। शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और मीडिया को भी इस विषय पर निरंतर जागरूकता फैलाकर लोगों की सोच को सही दिशा देनी चाहिए। जब हम संपत्ति से ऊपर चरित्र को स्थान देंगे, तभी सच्चे अर्थों में एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और नैतिक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गलत तरीकों से कमाए गए धन से किया गया दान पुण्य नहीं, बल्कि अन्याय और पाप पर चढ़ाया गया एक चमकदार आवरण मात्र है। यह समाज को भ्रमित करता है, सत्य को ढक देता है और नैतिक मूल्यों को धीरे-धीरे क्षीण कर देता है। सच्ची धार्मिकता मंदिरों, मस्जिदों या दानपेटियों की सीमाओं में नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन, अडिग सत्यनिष्ठा और करुणामय आचरण में निवास करती है। हमें इतना साहस अवश्य दिखाना होगा कि हम ऐसे दिखावटी दान की प्रशंसा करने से इंकार करें और स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करें– पुण्य का मार्ग केवल शुद्ध, न्यायपूर्ण और नैतिक साधनों से होकर ही जाता है।

प्रो. आरके जैन

आतंकवाद की नई परिभाषा सफेद पोश आतंकवाद

आतंकवाद से वैश्विक अराजकता।

उग्रवाद, आतंकवाद और अतिवाद हमेशा से अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने हुए हैंद्य व्हाइट-कॉलर क्राइम' शब्द का प्रयोग कथित तौर पर 1939 में हुआ था और तब से यह व्यापार और सरकारी पेशेवरों द्वारा किए गए सभी प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों का पर्याय बन गया है। इसराइल, हमास ,फिलिस्तीन युद्ध में हमास के लड़ाकुओं ने उच्च टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा इजरायल की आंखों में धूल झोंक कर 8 अक्टूबर को इसराइल के शहर अस्क लोन में लगभग 5000 रॉकेट से हमला किया और अपने आतंकवादी लोगों को हवाई रास्ते से इजराइल में उतार कर लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया । हमला बड़ा दर्दनाक था, इसे टेक्नोलॉजी के सारे गुप्त रखा गया था इसराइल को इसकी भनक तक न थी । वर्तमान समय में तकनीकी के सहारे मानवता का नरसंहार करने वाली बहुत विकराल घटना है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ज्यादा समय से युद्ध किया जा रहा है जो निसंदेह मानवता के लिए और विश्व शांति के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है ।पहले यह आतंकवादी हाथों में बंदूक, ग्रेनेटो, रॉकेट लांचर लेकर विभिन्न देशों में तोड़फोड़ आगजनी और हत्या की घटनाएं किया करते थेद्य अब समय के परिवर्तन के साथ साथ आतंकवाद में अब इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने पैर फैलाना शुरू किए हैंद्य आतंकवाद के नेटवर्क के लिए इंटरनेट तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आसानी से उपयोग करने लगे हैंद्य अमेरिका में जो ट्विन टावर और पेंटागन में हमले हुए थे, उसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लक्ष्य भेदी विमानों को को भेजा गया था और एक बड़ी विध्वंसकारी घटना को अंजाम दिया गया था। समय और तकनीकी शिक्षा के बढ़ने के साथ-साथ अब उग्रवादी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर बड़े इंजीनियर तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मैदान में आतंकवादियों के साथ टूट पड़े हैं। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स बड़े ही खतरनाक ढंग से सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कर जनता को दिग्भ्रमित कर झूठी अफवाहें फैलाकर कई देशों के सूचना तंत्र में सेंध लगाकर वहां की सूचनाएं प्राप्त कर अपने उग्रवादी साथियों को भेज कर खुफिया सूचनाएं भेजते हैं। आतंकवादी गतिविधियों के लिए यह सूचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और देशों की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा भी होती हैं। भारत के परिपेक्ष में भारत में बाहर के टेक्निकल शिक्षा प्राप्त किए आतंकवादी जिन्हे व्हाइट कॉलर आतंकवादी भी कहा जाता है। खुफिया तंत्र के हिसाब से यह तकनीकी स्लीपर सेल्स शांति के लिए अन्य आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि इनकी पहचान नहीं हो पाती है। ये छुपे हुए होते हैं। इनका पता लगाना अन्य आतंकवादियों से ज्यादा कठिन होता है और केवल तकनीकी जानकारी के आधार पर ही संभव हो पाता है। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स इसलिए भी ज्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि यह दूर ठिकानों में बैठकर मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए युवाओं को उकसा कर, भड़का कर सांप्रदायिक दंगे कराने में सफल हो जाते हैं। या सोशल मीडिया में झूठी तथा गलत खबरों के जरिए युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। निसंदेह ये अज्ञात होते हैं। लेकिन समूची युवा पीढ़ी को मानसिक रूप से प्रभावित कर उनके विकास की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे में सारी खुफिया एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठ रह जाती हैं। भारत के परिपेक्ष्य में जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यह अपनी तकनीकी ज्ञान के चलते सोशल मीडिया में नाम बदलकर, रूप बदलकर, युवाओं को आम जनता को गलत जानकारी देकर दिग्भ्रमित करते रहते हैं, एवं दंगे भड़काने का काम भी करते हैं। मूलतः ये टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स सफेदपोश होते हैं। एवं आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। ऐसे में इनका पता लगाना इन्हें खोजना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स देश के सामरिक महत्व की जानकारी अपने उग्रवादी संगठनों को प्रदान करते हैं। इन जानकारियों का आतंकवादी संगठन उग्रवाद के लिए बेहद खतरनाक ढंग से किसी भी देश के खिलाफ कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में यदि जम्मू कश्मीर को लिया जाए तो अब वहां आतंकवादियों ने अपना युद्ध का तरीका बदल दिया है। युद्ध का मैदान नया है, जहां पारंपरिक अथवा हथियारों, सकरी गलियों और जंगली युद्ध के मैदानों के स्थान पर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्मार्टफोन ने ले लिया है। जिसके फलस्वरूप यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल अपने अपने घरों में बैठकर सड़कों, मैदानों तथा जंगल में युद्ध छेड़ सकते हैं। अपने सूचना तंत्र तथा तकनीकी ज्ञान तथा उपकरणों के दम पर युवाओं तथा आम जनता के मध्य झूठी खबर फैलाकर आतंकवादियों एवं अलगाववादियों संगठनों की मंशा के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर परिस्थितियां तैयार कर युवाओं को देश के खिलाफ भड़का कर असामाजिक स्थिति पैदा कर देते हैं।

यह सफेदपोश आतंकवादी अधिकारी, नेताओं, व्यवसायियों की गुप्त सूचना प्राप्त कर उन उनको ब्लैकमेल कर धन राशि तथा सूचना एकत्र कर आतंकवादियों की मदद करते हैं। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स तब और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जब देश की संवेदनशील सामरिक सूचनाएं आतंकवादियों तथा दुश्मन देश को अपने तकनीकी ज्ञान के दम पर हैक करके भेजना शुरू कर देते हैं। जिससे देश की सुरक्षा संबंधी सब गुप्त सूचनाएं एवं नवीनतम रणनीति, दुश्मनों के समक्ष उजागर हो जाती है। जिससे देश की सुरक्षा तथा जानमाल को बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है। अब ज्यादातर आतंकवादी संगठन टेक्निकल सहायता लेकर मैदानों, फील्ड में ना जाकर टारगेटेड मिसाइल तथा एयरक्राफ्ट से विनाश करने में लगे हुए हैं। अब नई टेक्नोलॉजी में ड्रोन भी सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होने लगे हैं। हालाँकि की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर उनसे निपटने की तैयारी करते हैं। अमेरिका का काबुल पर आतंकवादियों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल सबसे बड़ा और नवीनतम उदाहरण है। पर दूसरी तरफ आतंकवाद से जुड़े उग्रवादी लोग भी ड्रोन का इस्तेमाल कर विध्वंस की साजिश करने से नहीं चूक रहे हैं। कुल मिलाकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स वैश्विक तथा भारत की शांति के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं जिन्हें बहुत जल्दी खोज कर इनकी पहचान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

संजीव ठाकुर

अध्यक्ष और लोकसभा सांसद

लोकसभा में इसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला के विरुद्ध विपक्षी सांसदों ने उन्हें पद से हटाये जाने की अनुरोध सूचना सदन के महासचिव को सौंप दी है जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं अतः अब आगे की कार्रवाई के लिए सदन के नियमानुसार प्रक्रिया चलेगी और इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के भीतर चर्चा कराई जायेगी । अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने पर इस प्रस्ताव पर 9 मार्च को सदन में बहस कराई जायेगी जिसके बाद मतदान होगा, जिसमें प्रस्ताव के स्वीकृत या होने का फैसला हो जायेगा। मगर एक समस्या यह खड़ी हो सकती है कि सदन में फिलहाल कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। लोकसभा में उपाध्यक्ष पद पिछली लोकसभा से ही खाली पड़ा हुआ है। इस पद को पिछली लोकसभा में भी भरने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी और 2024 में नई लोकसभा के गठन के बाद भी इसे अभी तक नहीं भरा गया है जबकि उपाध्यक्ष का पद भी पूरी तरह संवैधानिक पद होता है और इसके पास भी अध्यक्ष के समान ही सदन को चलाने के लिए पूरे अख्तियार होते हैं मगर इस पद को भरे जाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष पर ही होती है क्योंकि संविधान के अनुसार वह ही इस पद के चुनाव की घोषणा व अधिसूचना जारी करते हैं। सदन की यह भी परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष पद विपक्षी सदस्यों में से किसी एक को दिया जाता है जिससे सदन की कार्यवाही पूरी तरह निष्पक्ष होकर चलती दिखे व आसन पर सत्ता व विपक्ष दोनों की तरफ के सदस्यों का विश्वास अडिग रहे। इसकी मूल वजह यह है चूंकि अध्यक्ष पारंपरिक रूप से सत्ता पक्ष के ही बनते हैं अतः उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देकर सदन में सन्तुलन बनाकर रखा जाये जिससे अध्यक्ष का आसन सही मायनों में विक्रमादित्य का आसन समझा जा सके। परन्तु हम जानते हैं कि वर्तमान समय की कर्कश राजनीति में परम्पराएं टूट रही हैं। संसद में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह स्थिति संसदीय लोकतन्त्र के लिए बहुत अप्रिय है मगर राजनीतिक तौर पर इसका औचित्य दोनों ही तरफ से ढूंढा जा रहा है। अब सवाल यह है कि सदन में उपाध्यक्ष के न होने से श्री बिरला को पद से हटाये जाने की बहस के दौरान बैठकों की सदारत कौन करेगा। वैसे तो सदन में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करने के लिए सभापतियों का एक पूरा पैनल है। जाहिर है कि प्रस्ताव की सुनवाई के दौरान इन्हीं में से किसी वरिष्ठतम सदस्य का चुनाव होगा। मगर सदन में इससे पूर्व ऐसा कोई उदाहरण नहीं है अतः सदन की संवैधानिक नियमावली के अनुसार ही कोई न कोई रास्ता निकाला जायेगा। वैसे इस अवसर पर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्व. जी.वी. मावलंकर के उस कथन की तरफ ध्यान दिये जाने की जरूरत है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी संसद में एक दिन वह भी आ सकता है जब इसके अध्यक्ष पर सदन से बाहर के किसी निष्पक्ष व्यक्ति को बैठाने की मांग होने लगे। स्व. मावलंकर ने ये शब्द एक संसदीय प्रणाली पर आयोजित समारोह में ही व्यक्त किया थे। स्वयं उनके विरुद्ध ही 1954 में लोकसभा में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि विपक्ष के कुछ सांसदों का आरोप था कि अध्यक्ष उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। बेशक वह प्रस्ताव भारी मतों से गिर गया था मगर उस पर सदन में खुलकर बहस हुई थी और विपक्षी सांसदों ने अपनी बातें बेबाक होकर कहीं थीं। जबकि स्व. मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष के पद को पूरी तरह सरकार से निरपेक्ष बनाये रखने के उत्प्रेरक थे और उन्हीं के प्रयासों से अध्यक्ष का पृथक सचिवालय स्थापित हुआ था जिससे अध्यक्ष को किसी भी बात पर सरकार पर निर्भर न रहना पड़े और वह सदन के भीतर सभी पक्षों के सदस्यों के साथ पूर्ण न्याय कर सकें और सदन के भीतर प्रत्येक सदस्य के अधिकारों का संरक्षण निर्भय होकर बिना किसी राग-द्वेष के कर सकें।

अध्यक्ष के खिलाफ जब उन्हें पद से हटाये जाने का प्रस्ताव सदन में स्वीकृत हो जाता है और उस पर बहस शुरू हो जाती है तो अध्यक्ष अपने आसन पर नहीं बैठ सकते और उन्हें सामान्य सांसदों के साथ ही बैठना पड़ता है। वह प्रस्ताव पर होने वाली बहस में भी हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि बहस का विषय उन्हीं का आचरण होता है और न ही मतदान में भाग ले सकते हैं। अतः श्री बिरला का यह निर्णय समायोचित है कि उन्होंने प्रस्ताव पर फैसला हो जाने तक सदन में न आने की मंशा जाहिर की है लेकिन विपक्ष को भी यह विचार करना चाहिए कि जब अध्यक्ष के विरुद्ध वह प्रस्ताव लाता है तो लोकतन्त्र के लिए उसके मायने बहुत गंभीर होते हैं। बेशक हमने अध्यक्ष के चुनाव की सर्वसम्मत परम्परा को तिलांजिली दे दी है मगर उस पद की मर्यादा को कायम रखने का दायित्व सभी पक्षों का बनता है। मर्यादा तो यह भी कहती थी कि जब अध्यक्ष श्री बिरला ने विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को अवकाश प्राप्त जनरल नरवणे की पुस्तक का हवाला न दिये जाने पर अपना अ?न्तम फैसला दे दिया था तो वह इसका जिक्र अपने भाषण में न करते और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात को दूसरी तरह से कहते। मगर उन्होंने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया और अपनी जिद पर अड़े रहे। लोकतन्त्र कभी भी 'जिद' से नहीं चलता है, बल्कि यह 'जहन' से चलता है। वक्त का तकाजा था कि विपक्ष के नेता कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते जिससे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वह अपनी बात बिना किताब का सन्दर्भ दिये ही कह पाते लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं हो सका और सत्ता पक्ष भी जिद पर अड़ गया, जिसकी वजह से आज ये हालात बने। अब लोकसभा से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब आगामी 9 मार्च को सदन में बहस हो तो पूरी तरह शान्त और गरिमामयी वातावरण में हो। मगर इसमें अभी बहुत समय बाकी है और इस दौरान राजनीति क्या-क्या रंग लायेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा भी होनी है।

संपादकीय

लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी या कट्टरपंथ की दस्तक, बांग्लादेश के लिए अस्तित्व का चुनाव

बांग्लादेश आज अपने इतिहास के एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। तेरहवें आम चुनाव के लिए हो रहा मतदान केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह उस दिशा का निर्धारण भी है जिस ओर यह दक्षिण एशियाई राष्ट्र आगे बढ़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और भारत में शरण लेने के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है। ऐसे समय में जब राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है और समाज में अविश्वास गहराया हुआ है तब यह चुनाव लोकतंत्र की परीक्षा भी है और सामाजिक सौहार्द की भी।

देश के लगभग बारह करोड़ अस्सी लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए सफेद मतपत्र नई सरकार के चयन हेतु है जबकि पिंक मतपत्र के माध्यम से जुलाई नेशनल चार्टर नामक संवैधानिक संशोधन पर भी जनमत लिया जा रहा है। इस दोहरे मतदान ने चुनाव को और अधिक निर्णायक बना दिया है। एक ओर सरकार चुनने की प्रक्रिया है तो दूसरी ओर संविधान की आत्मा में परिवर्तन का प्रस्ताव है। ऐसे में यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्र की विचारधारा की दिशा तय करने वाला जनमत संग्रह बन गया है।

चुनावी माहौल में डर और असुरक्षा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विशेषकर हिंदू समुदाय के बीच भविष्य को लेकर गहरी चिंता है। पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं ने इस आशंका को और बढ़ाया है। विभिन्न जिलों में मंदिरों पर हमले हुए हैं दुकानों में आगजनी हुई है और समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। रंगपुर में सुसेन चंद्र सरकार की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। खुलना में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। चटगांव में दीपक साहा की दुकान को लूटा गया और आग के हवाले कर दिया गया। लालमोनिरहाट में एक शिक्षक के परिवार पर हमला हुआ। बरिसाल में गौरव दास को चुनावी रैली के बाद चाकू मारा गया। इन घटनाओं ने चुनाव को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है।

राजनीतिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव आया है। लंबे समय तक सत्ता में रही अवामी लीग इस चुनाव में मुख्य दावेदार के रूप में नहीं दिख रही। मैदान में मुख्य रूप से बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी और जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। बीएनपी का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। अधिकांश सर्वेक्षणों में बीएनपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जमात ए इस्लामी एक व्यापक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है जिसमें नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी भी शामिल है। इस गठबंधन की वैचारिक दिशा को लेकर समाज में बहस तेज है क्योंकि जमात लंबे समय तक प्रतिबंधित रही और उस पर कट्टरपंथी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं।

हिंदू समुदाय के कई लोग खुद को राजनीतिक रूप से असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्य दलों में कोई भी स्पष्ट रूप से उदारवादी या मध्यममार्गी दृष्टिकोण लेकर सामने नहीं आया है। कुछ मतदाता बीएनपी को अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं जबकि जमात के प्रभाव को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ढाका के एक मतदाता ने कहा कि वे ऐसे दल को वोट देंगे जो देश को धार्मिक कट्टरता की ओर न ले जाए। यह भावना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस वर्ग की है जो स्थिरता और समान अधिकारों की गारंटी चाहता है।

चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग डेढ़ लाख से अधिक पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। करीब एक लाख सैनिक भी विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं। देश के आधे से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं। एक क्षेत्र में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया है। इन व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि प्रशासन संभावित हिंसा को लेकर सतर्क है।

चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक घटनाएं स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच राजनीतिक झड़पों में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। मानवाधिकार संगठनों ने पिछले डेढ़ वर्ष में राजनीतिक हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और हजारों के घायल होने की जानकारी दी है। यह आंकड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। यदि चुनाव हिंसा की छाया में होगा तो उसकी वैधता पर भी प्रश्न उठेंगे।

इस बार का चुनाव एक वैचारिक संघर्ष भी है। क्या बांग्लादेश अपने संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद को बनाए रखेगा या धार्मिक पहचान को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा। पिंक मतपत्र के माध्यम से प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन इसी दिशा का संकेत देगा। यदि मतदाता बड़े पैमाने पर संशोधन का समर्थन करते हैं तो देश की राजनीतिक संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन संभव है। यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं तो यह वर्तमान व्यवस्था पर भरोसे का संकेत होगा।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस चुनाव पर नजर रखे हुए है। दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के साथ उसके संबंध रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम हैं। शेख हसीना के भारत में रहने के कारण यह चुनाव द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो गया है। नई सरकार की नीतियां क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।

आम मतदाता के लिए यह चुनाव केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा प्रश्न है। आर्थिक चुनौतियां बेरोजगारी महंगाई और सामाजिक असुरक्षा लोगों की प्राथमिक चिंताएं हैं। यदि नई सरकार इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने में विफल रहती है तो असंतोष और बढ़ सकता है। इसलिए मतदाता केवल विचारधारा नहीं बल्कि शासन क्षमता को भी परख रहे हैं।

बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सैन्य शासन से लोकतंत्र की ओर वापसी और फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण का दौर देश की यात्रा का हिस्सा रहा है। आज का चुनाव उसी यात्रा का नया अध्याय है। यह तय करेगा कि देश समावेशी लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा या वैचारिक टकराव की ओर जाएगा।

मतदान के परिणाम चाहे जो भी हों एक बात स्पष्ट है कि बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक विश्वास की पुनर्स्थापना है। यदि राजनीतिक दल चुनाव के बाद भी संवाद और सहमति की राजनीति अपनाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यदि प्रतिशोध और विभाजन की राजनीति हावी रही तो अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए यह चुनाव केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्ममंथन का क्षण है।

लोकतंत्र की असली शक्ति मतपेटी में नहीं बल्कि मतदाता के विश्वास में निहित होती है। बांग्लादेश के नागरिक आज उसी विश्वास की परीक्षा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि जनता ने किस दिशा को चुना है। परंतु यह निश्चित है कि यह चुनाव इतिहास में उस मोड़ के रूप में दर्ज होगा जब राष्ट्र ने स्वयं से पूछा कि वह कैसा भविष्य चाहता है?

कांतिलाल मांडोत

नौ लाख बारह हजार करोड़ का बजट विकास, आर्थिक और सामाजिक संतुलन की बढ़ोतरी का खाका

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया है ।वह आकार और संदेश दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और कुल मिलाकर दसवां बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रस्तुत यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार विकास की गति को बनाए रखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक सामाजिक और आर्थिक संदेश देना चाहती है। बजट का सबसे प्रमुख पक्ष इसका आकार है। नौ लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान उत्तर प्रदेश जैसी विशाल आबादी वाले राज्य के लिए संसाधनों की बड़ी प्रतिबद्धता दर्शाता है। सरकार ने लगभग 25 प्रतिशत राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की घोषणा की है। सड़कों पुलों कॉरिडोर और औद्योगिक पार्कों के निर्माण पर भारी निवेश का उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण का केंद्र बनाना है। 34 हजार करोड़ रुपये के नार्थ ईस्ट कॉरिडोर से लेकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के चौड़ीकरण और 4808 करोड़ रुपये के पुल निर्माण तक की योजनाएं बताती हैं कि बुनियादी ढांचे को विकास का आधार बनाया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पांच रनवे की परिकल्पना राज्य को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत करने की कोशिश है।

औद्योगिक विकास को लेकर सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है और कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश में हो रहा है। यदि यह रफ्तार बरकरार रहती है तो रोजगार सृजन और निर्यात दोनों में वृद्धि संभव है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 2069 करोड़ रुपये तथा आठ डेटा सेंटर पार्

संक्षिप्त खबरें

अध्यक्ष आनंद कुमार मेहरोत्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला को सौपा ज्ञापन

बिसवां (सीतापुर) बिसवां लॉयर्स एसोसिएशन, बिसवां के अध्यक्ष आनंद कुमार मेहरोत्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपजिलाधिकारी बिसवां शिखा शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संघ द्वारा हालिया घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की मांग की गई। संघ ने अपने ज्ञापन में पीड़ित अधिवक्ता के परिवार को न्यायोचित सहायता प्रदान किए जाने की मांग करते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा ?50,00,000 (पचास लाख रुपये) की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। अध्यक्ष आनंद कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं सम्मान से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की। इस अवसर परदिनेश श्रीवास्तव रजनीश मिश्रा, राजकिशोर मिश्रा, सुशील शुक्ला मोहम्मद शोएब, अनिल अवस्थी, बरखा सिंह, कमलेंद्र कुमार बाजपेई, दिनेश श्रीवास्तव, नागेंद्र प्रताप, बृजेश नारायण गुप्ता, सरोज वर्मा विपिन यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थिति रहे।

बाइक सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत

बाइक सवार मां बेटे घायल गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 32 पर बाल्हेमऊ गांव स्थित हनुमान मंदिर के निकट बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल से घर लौट रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे कालिका बख्श मजरे ऐहार निवासी बद्री प्रसाद साहू उम्र लगभग (70) वर्ष पुत्र पूर्वीदीन साइकिल से बाजार से लौट रहे थे। तभी रायबरेली की ओर से आ रही बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर अटौरा बुजुर्ग के शमशेर का पुरवा निवासी सुमन देवी अपने बेटे अंकित के साथ बैठी थीं। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बद्री प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुमन देवी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सुखा देवी, बेटे नंदकिशोर, बेटी मालती और नाती धर्मेंद्र साहू का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

बिना अनुमति 16 प्रतिबंधित पेड़ काटे

क्रेता व विक्रेता पर मुकदमा दर्ज।

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव में गणेशन मंदिर के पास ठेकेदार ने बिना अनुमति 16 पेड़ काट दिए गए। वनरक्षक नीरज की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वनरक्षक नीरज कुमार ने तहरीर देकर बताया कि दौलत सिंह का पुरवा निवासी ठेकेदार रामकुमार यादव ने बिना अनुमति पेड़ कटवाए। इनमें 10 नीम, 3 आम और 3 सागवान के पेड़ शामिल हैं। पेड़ बिशुन खेड़ा गांव निवासी गोलू मिश्रा ने बेचे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद वन विभाग ने जांच की। इसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि वनरक्षक की तहरीर पर वन संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल की क़ैद कोर्ट ने 2021 के केस में सुनाया फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी और विवेचना के चलते नाबालिग के यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में अदालत ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना तम्बौर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 242/21 की सुनवाई में न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था, जिसमें नाबालिग का यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रमाणों को मजबूती से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने भी सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए घटना की गंभीरता को रेखांकित किया न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर ने अभियुक्त कमल किशोर उर्फ कमलू पुत्र मुन्नालाल चौहान निवासी ग्राम लालपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को धारा 5ड/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जनपद में महिला एवं बाल अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के माध्यम से लंबित मामलों में त्वरित न्याय दिलाने का अभियान निरंतर जारी है। इस फैसले से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा!

जिला मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी ने प्रतीकात्मक रूप से समझौते की प्रति को खुद जलाकर दर्ज कराया विरोध

बिसवां/सीतापुर भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी ने प्रतीकात्मक रूप से समझौते की प्रति अकेले जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान शुभम रस्तोगी ने कहा कि यह समझौता देश के किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे छोटे व मझोले किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने 'हमारा खेत, हमारा अधिकार' का नारा देते हुए केंद्र सरकार से इस समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की। रस्तोगी ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की आवाज को नजरअंदाज किया तो भारतीय किसान यूनियन आगे व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दो युवकों के अपहरण-हत्या की अफ़वाह कार में खून के धब्बे और मोबाइल मिलने से फैली सनसनी, दोनों युवक सकुशल बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में बुधवार देर रात कार सवार दो युवकों के कथित अपहरण और हत्या की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही परिजन स्टेट हाईवे के पास घर पर देर रात तक हंगामा करते रहे। हालात को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्राधिकारी नेहा त्रिपाठी, इंस्पेक्टर अमर सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर दोनों युवकों को बरामद किया। रिश्तेदारी से लौट रहे इस्लाम और तहसीम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। उनकी कार सड़क किनारे खड़ी मिली, जिसमें खून के धब्बे और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। कार की स्थिति और खून के निशान देखकर परिजनों ने अपहरण और हत्या की आशंका जताई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने कार से साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन सर्विलांस के जरिए ट्रेस करना शुरू किया। जांच के दौरान पता चला कि लापता युवक इस्लाम पर चार दिन पहले मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे मामले को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं। तड़के पुलिस को बड़ी राहत मिली जब शहर सीमा के पास एक मोहल्ले के घर से दोनों युवक सकुशल बरामद कर लिए गए। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि अपहरण और हत्या की सूचना भ्रामक थी।

अफवाह फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज होगा सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब उनके खिलाफ झूठी सूचना देकर अफवाह फैलाने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है!!

शिविर में 21 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

● स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर श्रीहरिद्वारी वैश्य महासभा द्वारा हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। श्रीहरिद्वारी वैश्य महासभा के तत्वावधान में सीतापुर ब्लड बैंक के सहयोग से स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन गल्ला मंडी परिसर में किया गया। इस मौके पर 21 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान रक्तदान किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, सीएमओ डॉ. सुरेश कुमार एवं मंडी समिति के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के माल्यापर्ण एवं उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित करने के साथ हुआ। शिविर से पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित किया एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सीएमओ एवं मंडी समिति सचिव ने रक्तदान भी किया। इस मौके पर सीएमओ ने कहा कि हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। लोग रक्तदान करने से झिझकते हैं। लोगों में इसको लेकर सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि इससे कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से फायदे ज्यादा हैं। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन के स्तर को नियंत्रण में रख जा सकता है। इससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। शरीर में बड़ी मात्रा में आयरन के बनने से ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है, जो एजिंग, दिल के दौरे, स्ट्रोक आदि के खतरे को बढ़ाता है। रक्तदान इस खतरे से बचाता है। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की प्रभारी डॉ. पूजा ने कहा कि रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है बल्कि खुद के खतरे भी कम किए जा सकते हैं। प्रतिदिन हमारे शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता रहता है और प्रतिदिन नया रक्त बनता रहता है। शरीर 24 घंटों में दिये गये रक्त के तरल भाग की पूर्ति कर लेता है।

इस मौके पर श्रीहरिद्वारी वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष मुन्ना लाल गुप्ता, सभासद राकेश गुप्ता पिंकू, आकाश वर्मा, संजीव गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार राजीव गुप्ता तेजू, कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. ममता वर्मा, विमल गुप्ता, श्यामजी गुप्ता, दीपक गुप्ता, संतोष गुप्ता, कपिल गुप्ता, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीलम गुप्ता, डॉ. प्रमोद गुप्ता, डॉ. राजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।

तहसील कर्मी के दुर्व्यवहार पर अधिवक्ताओं में नाराजगी

लालगंज (रायबरेली)। तहसील के अधिवक्ता सभागार में बृहस्पतिवार को बैसवारा अधिवक्ता एसोसिएशन के एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तहसील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं में गहरी नाराजगी व्यक्त की। बैसवारा अधिवक्ता एसोसिएशन की बैठक अधिवक्ता सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र नाथ सिंह ने की। बैठक में बताया गया कि 10 फरवरी को तहसील के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अधिवक्ता अभिषेक तिवारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस घटना की अधिवक्ताओं ने कड़ी निंदा की। इसे अधिवक्ता समाज का अपमान बताया गया।अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील परिसर में सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुक्रवार को सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश त्रिवेदी, डॉ. विनय भदोरिया, राज बहादुर मौर्य, शिव शंकर पांडेय, संजय अवस्थी, पंकज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

रेडिको खेतान लिमिटेड,बिसवा द्वारा सीएसआर के अंतर्गत कंदुनी क्रिकेट स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां, सीतापुर, 11 फरवरी 2026 रेडिको खेतान लिमिटेड, बिसवां (सीतापुर) इकाई द्वारा आज दिनांक 11 फरवरी 2026 को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (ष्टस्क्र) पहल के अंतर्गत कंदुनी क्रिकेट स्टेडियम में खेलकूद एवं मनोरंजन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम 'दौड़ेंगे हम दुनिया देखेगी दम' रही, जिसने बच्चों में उत्साह, ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कंपनी की सीएसआर प्रमुख श्रीमती अनीता चौहान ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी श्री शरद चौधरी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही प्लांट हेड श्री अंशु श्रीवास्तव, फाइनेंस हेड श्री अनिल कुमार जैन , एचआर हेड श्री अजय गोस्वामी, इंजीनियरिंग हेड श्री उपेंद्र नाथ पांडेय, बॉटलिंग प्रोडक्शन हेड श्री भूपेंद्र सिंह तोमर, प्रोसेस हेड श्री धर्मेंद्र कुमार यादव एवं कमर्शियल हेड श्री दीपक सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन श्री अजय गोस्वामी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय कंदुनी, जगदीशपुर, कौरासा तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कंदुनी के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों के लिए 50 मीटर एवं 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोचक एवं सहभागितापूर्ण खेल गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों के अभिभावक एवं संबंधित विद्यालयों के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम में और अधिक गरिमा एवं प्रेरणा का वातावरण बना। प्रतियोगिताओं के उपरांत विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।

कंपनी द्वारा बच्चों को साइकिल, एजुकेशन किट सहित अन्य उपयोगी उपहार वितरित किए गए। पुरस्कार प्राप्त कर सभी विजेता प्रतिभागी अत्यंत प्रसन्न एवं उत्साहित दिखाई दिए। उनके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक रहा। कार्यक्रम के दौरान एवं समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को एनर्जी ड्रिंक एवं पौष्टिक नाश्ता वितरित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि रेडिको खेतान लिमिटेड के कर्मचारियों के परिवारजन भी उपस्थित रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

खेल का संचालन, अनुशासन व्यवस्था एवं कार्यक्रम का सफल समापन प्लांट सीएसआर इंचार्ज श्री विशाल शर्मा एवं उनकी संपूर्ण सीएसआर टीम के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अपने संबोधन में श्रीमती अनीता चौहान ने कहा कि कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास के क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य अतिथि श्री शरद चौधरी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर प्रयास एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्लांट हेड श्री अंशु श्रीवास्तव ने बच्चों को खेल एवं शिक्षा दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में खेल भावना, आत्मविश्वास एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

....जब नल लगे, टंकी बनी फिर कहां गया पानी..! संघर्ष की मीनार से जूझती प्यासों की कहानी

●तीन हजार आबादी के हित में ग्राम समूह पेयजल से बनी टंकी 12 साल से बंद , 23 साल पहले निर्माण!

10 साल में दो बार रिवोर के बाद तीसरी बार जमीन तलाश रहा संबंधित विभाग, पत्राचार का हवाला घंटों लाइन में ग्रामीण!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज रायबरेली। हर घर जल, जल जीवन निगम , एक बूंद पानी नाना प्रकार की अलग-अलग थीम और करोड़ों रुपयो की परियोजनाओं की जमीनी हकीकत की पृष्ठभूमि सरकारी दावों और दफ्तरों की चमकती चासनी और चांदनी से बिल्कुल जुदा है आजादी के अमृत काल में लीन देश आज भी पानी की किल्लत सिस्टम की लाचारी से झेल रहा। विकासखंड लालगंज की ग्राम पंचायत सोंडासी का बाजपेईपुर खटिकाना, चमरौली, सोन्डासी, पूरे शुक्लन, बैशखा, आदि गांव शुद्ध पेयजल पीने के लिए आज भी तरस रहा है यहां घंटों एक हैंड पंप के सहारे समूचा गांव प्यास बुझाने के लिए मस्कत और संघर्ष की दास्तान रच रहा है और संबंधित विभाग पत्राचार का हवाला देते देते समूचे 12 साल व्यतीत कर दीए ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 2003 मे ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत निर्मित हुई पानी टंकी निर्माण साल से मात्र 10 साल तक ही पानी की सप्लाई देने में सफल हुई और इस बीच निर्माण कार्य में बरती गई शिथिलता के कारण दो बार रिबोर भी कराना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई और आज की स्थिति में बाजपेई पुर गांव में निर्मित पानी की टंकी जंग और झाड़ियों से दो चार कर रही है पानी पूर्ति की सप्लाई करना हास्यास्पद होगा करीब 12 साल से खराब मोटर, पाइप इत्यादि सामग्री मे पूर्ण रूप से जंग लग चुका है लेकिन संबंधित विभाग पूरी तरीके से उदासीनता पे उतारू है अनेकों बार शिकायत करने के बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गांव वालों की व्यथा समझने की जहमत नहीं जुटा पा रहे हैं जो विभागी अधिकारियों की मक्कारी की इतिश्री ही कही जाएगी बाजपेईपुर सहित उपरोक्त गांव की स्थिति इतनी जटिल है की बूढ़े बच्चे नौजवान सब कोसों दूर एक-एक बूंद पानी के लिए घंटो समय जाया कर रहे तब जाकर अपनी बारी आने पर उन्हें एक बाल्टी पानी हैंडपंप के सहारे मिल पाता जबकि ग्राम पंचायत के निवासी अभिषेक शुक्ला के द्वारा जिलाधिकारी महोदया को करीब साल भर पूर्व दिए गए।

पत्र के माध्यम से रूबरू कराया गया की ग्राम बाजपेई पूर में शुद्ध पेयजल की भारी किल्लत है और बंद पड़ी पानी टंकी का रिबोर मरमतीकरण कराके पानी की व्यवस्था सुलभ कराई जाए लेकिन इन शिकायतों का कोई प्रभाव अभी तक जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला जबकि 17/01/ 2025 को कार्यालय अधिशासी अभियंता जल निगम रायबरेली के द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से आईजीआरएस में की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए जारी पत्र के माध्यम से बताया गया ग्राम समूह पेयजल योजना वर्तमान में अपनी 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी है जिस कारण उक्त ग्राम में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सोंडासी पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित किया गया और यह कार्य जून 2025 तक पूर्ण कराने की बात कही गई लेकिन उक्त योजना भी ग्राम सभा की पटल पर अभी तक उतर नहीं पाई जिससे आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा चेतावनी जारी करते हुए आगामी पंचायत व विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही गई है। महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आजादी के इतने सालों के बाद हमारा सरकारी तंत्र बेहतर पेयजल व्यवस्था सुलभ नहीं करा पा रहा तो देश कौन सी आजादी का अमृत काल मना रहा जबकि वर्तमान सरकार द्वारा करोड़ों रुपए हर घर जल पहुंचाने को लेकर खर्च किया जा रहा हैं लेकिन लापरवाह अधिकारी है कि अपनी कमजोरी की छाप से सरकार की मंशा को ठेस पहुंचा रहे हैं। दो बार रिबोर कराया गया लेकिन स्टेटा दूषित होने की वजह से सफल नहीं हो पाया संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया गया है ग्राम सभा में नई परियोजना के तहत भूमि का चयन करके टांकी निर्माण कार्य किया जाएगा।

सफीर्कुर रहमान एक्सीयन ग्रामीण जल निगम

डीएम-एसपी की अध्यक्षता में यूपी बोर्ड परीक्षा की प्रशिक्षण बैठक सम्पन्न

●डीएम-एसपी ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को सुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकलविहीन संपन्न कराने के निर्देश दिये

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल/इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को सुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकलविहीन संपन्न कराने हेतु तैनात किए गए जोनल, सेक्टर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक के साथ प्रशिक्षण बैठक संपन्न हुई। प्रशिक्षण बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 18 फरवरी से 12 मार्च तक संचालित होने वाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जनपद रायबरेली में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी, प्रथम पाली का समय प्रातः 08:30 बजे से 11:45 बजे एवं द्वितीय पाली का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 05:15 बजे तक रहेगा। परीक्षाओं को सुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकलविहीन संपन्न करने के लिए जनपद को 09 जोन एवं 19 सेक्टर में विभाजित करते हुए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र, व्यवस्थापक व वाह्य केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा हाईस्कूल में कुल विद्यार्थी 38,026 जिसमें बालक 19,178 व बालिकायें 18,848 शामिल है तथा इंटरमीडिएट में कुल विद्यार्थी 31,635 जिसमें बालक 15,721 व बालिका 15,914 शामिल है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 69,661 है। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें परीक्षा केन्द्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नामित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट आवंटित परीक्षा केंद्रों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते हुए केंद्र पर प्रभावी नियंत्रण रखेंगे तथा अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों के स्टैटिक मजिस्ट्रेट मॉनिटरिंग करते हुए परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक परीक्षा तिथि एवं पाली पर उनकी उपस्थिति में सुनिश्चित कराएंगे। बोर्ड परीक्षा में तैनात जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में सतत भ्रमणशील रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा अवधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं केन्द्रों पर अवांछित भीड़ इकट्ठा न होने देने के दृष्टिगत पुलिस दल के साथ परीक्षा अवधि में अपने जोन के परीक्षा केन्द्रों में नियमित दौरा करेंगे। जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी की परिधि में फोटो कापियर्स एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रत्येक दिन दोनों पालियों की परीक्षाओं में केन्द्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों में नकल की रोकथाम के लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट स्थानीय पुलिस के सहयोग से नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण परीक्षा कराने हेतु समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक केंद्र पर नियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन शांतिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने परीक्षा केन्द्रों पर प्रत्येक दशा में न्यूनतम 01 घण्टे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्ट्रांग रूम तथा प्रश्नपत्र रखे डबल लॉक अलमारी को निर्धारित समयान्तर्गत खोला जा सके। परीक्षा केन्द्र के स्ट्रांग रूम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल फोन के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा, सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज रत्नेश कुमार सहित समस्त जोनल, सेक्टर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केन्द्र व्यवस्थापक आदि उपस्थित रहें।

बजट में आमजन को अनदेखा करने का आरोपः कांग्रेस

देवरिया। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश बजट को आलोचना का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में युवा तथा उचित मूल्य की उम्मीद रखने वाले किसानों के लिए बजट में ठोस कदम नहीं दिखते। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार अमीरों के लिए मेहरबान, लेकिन किसानों, युवाओं और मध्यम वर्गी परिवारों को उपेक्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि देवरिया में रोडवेज बस अड्डा का नया भवन, बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार और बाढ़-कटान से प्रभावित नदियों के किनारे स्थाई तटबंध की अपेक्षाएं थीं, लेकिन बजट में इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से बजट प्रावधानों पर पुनर्विचार करते हुए किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की, ताकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। मिश्रा ने कहा कि यह बजट 2027 में सरकार के लिए चुनावी असर भी रखता है।

लघु उद्योग के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगाः राज्य मंत्री वैश्य नेटवर गोयल

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में योगी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये लघु उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष व राज्यमंत्री नटवर गोयल ने कहा कि सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये की व्यवस्था व एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 575 करोड़ और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु एक हजार करोड़ सहित एक जनपद एक व्यंजन जो एक नई योजना है के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5041 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित

संक्षिप्त खबरें

त्योहारों से पहले प्रशासन अलर्टः बलिया में पीस कमेटी बैठक, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

बलिया। आगामी महाशिवरात्रि, रमजान और होली को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने की। इसमें जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में शासन एवं न्यायालय द्वारा जारी शांति एवं सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन से आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रमुख बाजारों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास नियमित गश्त की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की सघन चेकिंग के साथ-साथ दुकानदारों व नागरिकों से संवाद स्थापित कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अराजक तत्व त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने का संदेश।

प्रमोद सक्सेना के निधन व फारुख अहमद की हत्या पर जिला बार की शोक सभा

जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे

कानपुर देहात। जन्म और मृत्यु जीवन की सत्य-अटल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोग मृत्यु के बाद भी अपने विचारों के लिए याद किए जाते रहते हैं। हम उनकी यादों को हमेशा संजोकर रखेंगे। उक्त बातें एडवोकेट मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने जनपद न्यायालय परिसर झंडा पार्क में अधिवक्ता प्रमोद सक्सेना के आकस्मिक निधनएवं जनपद रामपुर के अधिवक्ता फारूक अहमद खान की गोली मारकर हत्या पर आयोजित शोक सभा में कही। यादव ने कहा कि शोकाकुल परिवारों के प्रति हम सबकी गहरी संवेदना है। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अधिवक्ता फारूक अहमद खान की हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई अधिवक्ता की हत्या करने की जुर्रत न करे। शोक सभा में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।शोक सभा का संचालन महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर ने किया। जिला बार एसोसिएशन ने इस घटना के विरोध में शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने की चेतावनी दी है। इस मौके पर चौधरी संपत लाल रमेश चंद्र सिंह गौर ,, रईस अहमद, जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, सर्वेंद्र सिंह यादव, सुलेखा यादव, जितेंद्र बाबू, महेंद्र यादव, गोपी सिंह, जुनैद कुरैशी, निर्मल नायक, नीलू यादव, उपदेश यादव, संजय सिंह, मोनू गौड़, केके गौतम, दुर्गेश चंद्र, जगबीर, शिव गिरजा शंकर, जय गोविंद सिंह, आनंद मोहन कटियार, वीरेंद्र सिंह काटियार, अशोक कुमार संखवार, श्रीकांत राठौर, अमित श्रीवास्तव, कंचन यादव, शमशाद खान, जय सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव आदि अधिवक्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे।

पूर्व एमएलसी विंध्य वासिनी का निधन, शोक की लहर

प्रतापगढ़।भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी एवं पूर्व नेता विधानपरिषद भाजपा विंध्यवासिनी कुमार का गुरुवार को लखनऊ में निधन हो गया। इससे भाजपा संगठन एवं कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है और मैं ऐसे दुःख की घड़ी में उनके परिवार को संबल प्रदान करें यही ईश्वर से प्रार्थना करता है।

दिल्ली के रोहिणी में खुले नाले में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत विभागीय लापरवाही पर नहीं लग रही अंकुश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
बादल हुसैन

नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रशासन की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं,हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिर कर एक शख्स की जान जाने का मामला अभी सुर्खियों में ही बना हुआ था कि ऐसी ही एक और घटना सामने आ गई , जहां राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में काली मंदिर के पास खुले मैन होल में गिरने से 27 वर्षीय मजदूर बिरजू की मोत हों गई। जो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और दिल्ली में मजदूरी करता था।युबक की दर्दनाक मौत ने दिल्ली के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां घटना केवल एक व्यक्ति की जान जाने की त्रासदी नहीं है, बल्कि राजधानी में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की बदहाल स्थिति और प्रशासन की लापरवाही का आईना भी है। बताया जा रहा है कि संबंधित इसके में लंबे समय से नाला खुला हुआ था। जबकि समय समय पर दिल्ली में खुले नाले, और गड्ढे को लेकर समाचार की माध्यम से संबंधित विभाग को ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, इस के बावजूद भी विभाग निंद से नहीं जाग रही है। इसी साल 19, जनबरी से 10 परबरी के बीच दिल्ली और एनसीआर में खुले गड्ढे व नाले में गिर कर तीन लोगों की मौत हो गई और एक घायल हैं, ताजा मामले में पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के खुले गड्ढे में गिर कर 70 वर्षीय महिला बबली घायल हो गई। जब तक लापरवाही पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं दोहराती रहेगी। और आम नागरिकों की यूं ही जोखिम में पड़ी रहेगी।यह हादसा प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि विकास के दावों के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्दन झेलना पड़े।

महाशिवरात्रि पर तीन दिनों तक होगा बाबा घुइसरनाथ का भव्य श्रृंगार

लालगंज, प्रतापगढ़। पौराणिक स्थली बाबा घुइसरनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा का विशेष श्रृंगार होगा। मंदिर के महंत मयंक भाल गिरि ने बताया कि चौदह फरवरी को महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बाबा का भव्य दूल्हा श्रृंगार किया जाएगा। इस दिन रात्रि आठ बजे विशेष आरती भी होगी। महाशिवरात्रि के दिन बाबा का अलौकिक रूद्राक्ष श्रृंगार व आरती रात नौ बजे होगी। अगले दिन सोलह फरवरी सोमवार को बाबा का दिव्य एवं भव्य अलौकिक आभूषण श्रृंगार होगा। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर बाबा घुइसरनाथ धाम मंदिर में आकर्षक रंगरोगन की भी छटा श्रद्धालुओं को भावविभोर किये हुए है।

करोलबाग में एक दिन में 11 विकास कार्यों का उद्घाटन बना किर्ति मान विधायक विषेश रवि

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोग प्रिय विधायक विषेश रवि के द्वारा इंन दिनों क्षेत्रों में विकास की झड़ी लगा दी है। प्रतीदिन क्षेत्र में कही न कही विकास कार्यों का उद्घाटन देखने को मिलता है।इसी कड़ी में गुरुवार को नई पानी की लाइन, सड़क और जन सुविधा केंद्रों के पुनर्निर्माण कार्य के शुभारंभ किया। देव नगर, रैगरपुरा, में पानी की पाइप लाइन, सड़क,जन सुविधा केंद्रों का शुभारंभ नारियल तोड़ कर किया। इस मौके पर विधायक विषेश रवि ने कहा कि इस केंद्रों का उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही निवरण करना और डिजिटल सेवाएं एक ही छत नीचे उपलब्ध करना है, जिससे लोगों को सरकारी सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों की समस्यायों को सुनना और उन्हें त्वरित सरकारी सामाधान प्रदान करना हमारा कर्तव्य है,आप को बतादे की विधायक द्वारा एक दिन में 11 विकास कार्यों का उद्घाटन अपने आप में एक किर्ति मान है।इस कार्य से क्षेत्र वासियों में काफी खुशी है। इस अवसर पर काफी संख्या में विभागीय और जन प्रतिनिधियों एवं आम जन उपस्थित थे।

नेपाल के थापा पहलवान ने पंजाब के विक्की पहलवान को दिखाया आसमान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। भनवापुर क्षेत्र के सोहना चौराहे पर गुरुवार को तीन दिवसीय अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का भव्य शुभारंभ हुआ। दंगल का उद्घाटन समाजसेवी इरफान मलिक ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। पहले दिन आयोजित मुकाबलों में देश के विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों ने अपने दमखम और शानदार दांव-पेच का प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दंगल की पहली कुश्ती जम्मू-कश्मीर के गनी पहलवान और हरियाणा के सोनू पहलवान के बीच हुई। दोनों पहलवानों के बीच काफी देर तक रोमांचक मुकाबला चलता रहा, लेकिन अंततः गनी पहलवान ने शानदार पटखनी देकर सोनू को पराजित कर जीत हासिल कर ली।

दूसरा मुकाबला नेपाल के थापा पहलवान और पंजाब के विक्की पहलवान के बीच हुआ, जो दर्शकों के लिए बेहद रोमांचकारी रहा। दोनों पहलवानों ने जोरदार संघर्ष किया, लेकिन थापा पहलवान ने अपने शानदार धोबी पाट दांव का प्रदर्शन करते हुए विक्की पहलवान को चित्त कर दिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। तीसरी कुश्ती अयोध्या के बाबा गौरीशंकर और राजस्थान के मनीष पहलवान के बीच खेली गई। दोनों पहलवानों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। लंबे संघर्ष के बाद बाबा गौरीशंकर ने दमदार पटखनी लगाकर मनीष पहलवान को पराजित कर जीत दर्ज की।

चौथा मुकाबला सहारनपुर के साहिल पहलवान और मेरठ के सोनू पहलवान के बीच हुआ। इस मुकाबले में साहिल पहलवान ने बेहतरीन दांव-पेच का प्रदर्शन करते हुए सोनू पहलवान को धूल चटा दी। दंगल के दौरान पहलवानों के हैरतअंगेज दांव-पेच और रोमांचक मुकाबलों को देखकर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर दंगल आयोजक मनीष सिंह क्रांतिकारी, नसीम राईनी, कान्हा सिंह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले में तीन पर दर्ज हुआ केस

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही दिखेगा
पुलिस 112 आपात सेवाएं

लालगंज, प्रतापगढ़। अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लालगंज कोतवाली के जैनपुर निवासी अधिवक्ता आलोक कुमार शुक्ल पुत्र रघुनाथ प्रसाद शुक्ल ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि बीती ग्यारह फरवरी को दोपहर करीब बारह बजे वह गांव के समीप खेत में अपनी फसल देखने गया था। पीड़ित का आरोप है कि यहां रास्ते मे लालगंज बाजार निवासी ज्ञानचंद्र मोदनवाल पुत्र चोखेलाल अपने पुत्र रजत मोदनवाल व एक अज्ञात के साथ जबरन रोक लिया और गालीगलौज करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने पीड़ित अधिवक्ता को मारापीटा व जानलेवा धमकी दी। शोर सुनकर लोगों को आते देख ज्ञानचंद्र मोदनवाल ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से जानलेवा फायर झोंक दिया लेकिन पीड़ित बाल बाल बच गया। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

असम विश्वविद्यालय ने 'नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन' के साथ युवा दिमागों को किया प्रदीप्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि : 12 फरवरी, युवा पीढ़ी के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल करते हुए, असम विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग ने बुधवार को एक विशेष व्याख्यान श्रृंखला और 'नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन' (रात्रि आकाश अवलोकन) कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के 'इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट' के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय, रामानुज गुप्ता डिग्री कॉलेज और गुरुचरण विश्वविद्यालय के लगभग सौ शोधार्थियों और स्नातक छात्रों ने भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में, केंद्र के समन्वयक और भौतिकी विभाग के प्रमुख प्रो. हिमाद्री शेखर दास ने केंद्र के उद्देश्यों और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नियमित शैक्षणिक चर्चाओं और साल भर दूरबीनों (टेलीस्कोप) के माध्यम से आयोजित होने वाले रात्रि आकाश अवलोकन सत्रों के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान को छात्रों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रो. अशोक कुमार सेन ने 'इंटरस्टेलर कॉमेट्स क्या हैं?' विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने दूर के तारा प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले बर्फीले खगोलीय पिंडों की गति और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। भौतिक विज्ञान संकाय के डीन प्रो. अत्रि देशमुख ने 'गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज' पर बात की, जिसमें उन्होंने चल रहे वैश्विक शोध, तीव्र ब्रह्मांडीय घटनाओं से उत्पन्न होने वाली 'स्पेस-टाइम रिपल्स'(अंतरिक्ष-समय की लहरें) और उनका पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों को रेखांकित किया। जैसे ही शाम ढली, कार्यक्रम का केंद्र सैद्धांतिक चर्चाओं से हटकर सीधे आकाश अवलोकन पर आ गया। भौतिकी भवन की छत पर आयोजित रात्रि सत्र के दौरान, शोधार्थियों–विक्की प्रसाद, भास्करज्योति बर्मन, संचाली नाथ मजूमदार, निरोदा नामब्रम, बोइनाओ मेइकाम, सौरव चौधरी, आशिक ज़मान और पौलोमी पालित के मार्गदर्शन में छात्रों को शक्तिशाली टेलीस्कोप के माध्यम से विभिन्न ग्रहों और खगोलीय पिंडों को देखने का अवसर दिया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी संचाली नाथ मजूमदार द्वारा किया गया।

सिलापथार में स्वास्थ्य का जांच और जागरूकता कैंप का सफल समापन, विद्यार्थी सहित 40 व्यक्तियों ने किया स्वास्थ्य जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। सिलापथार विज्ञान महाविद्यालय में एक हेल्थ चेक-अप और अवेयरनेस कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह प्रोग्राम एनएसएस यूनिट, सिलापथार साइंस कॉलेज और आर्यभट्ट साइंस सेंटर, सिसिबोरगांव ब्लॉक ने आईसीएमआर-आरएमआरसीएन, डिब्रूगढ़ के सहयोग से मिलकर आयोजित किया था।

आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई, डिब्रूगढ़ के 11 सदस्यों की एक टीम ने कैंप आयोजित करने के लिए कॉलेज कैंपस का दौरा किया। टीम के सदस्यों में राजदीप सिंह, भास्वती सैकिया, संयुक्ता राज कोंवर, ज्योतिस्मिता कुर्मी, जयश्री गोगोई, पंकज बोरूआ, मोनालिशा गोगोई, नोवो कांटो मिली, घाना माया एले, मोनिता कुर्मी और हितेश्वर चुटिया शामिल थे। उनकी समर्पित कोशिशों से प्रोग्राम आसानी से और सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कैंप के दौरान, कॉलेज के टीचिंग स्टाफ, नॉन-टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स से कुल 150 ब्लड सैंपल लिए गए। न्यूट्रिएंट्स की कमी और जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों जैसे एनीमिया, हीमोग्लोबिन टाइप डिटेक्शन, डायबिटीज, ग्लूकोज- 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज (G6PD) की कमी, और थायरॉइड हार्मोन लेवल की जांच के लिए हेल्थ चेक-अप टेस्ट फ्री में किए गए। कैंप का मकसद पार्टिसिपेंट्स के बीच जल्दी डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर के महत्व के बारे में अवेयरनेस पैदा करना था।

यह प्रोग्राम बहुत फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इसने लोगों को अपनी हेल्थ और वेल-बीइंग के बारे में ज़्यादा अवेयर होने के लिए मोटिवेट किया। इस इनिशिएटिव ने कॉलेज और मेडिकल रिसर्च कम्युनिटी के बीच बॉन्ड को भी मजबूत किया।

एनएसएस यूनिट, सिलापथार साइंस कॉलेज कैंपस में इतना ज़रूरी और वैल्यूएबल हेल्थ कैंप ऑर्गनाइज़ करने के लिए आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई, डिब्रूगढ़ का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए महाविद्यालय की तरफ से अध्यक्ष डॉ रंजीत सैकिया ने स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देने में उनके सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन सराहना की।

चार श्रम संहिताओं के विरोध में बलिया में गरजा मजदूर वर्ग, आशा बहुओं के नियमितीकरण की उठी मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। जनपद मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को विभिन्न ट्रेड यूनियनों के बैनर तले मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही चार नई श्रम संहिताओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उनका कहना था कि ये श्रम कानून मजदूर और गरीब वर्ग के हितों के विपरीत हैं तथा इससे श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे। उन्होंने वर्ष 1976 के एसपीई अधिनियम की रक्षा करने और एसपीई अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वैधानिक कार्य नियम बनाए जाने की मांग उठाई, ताकि एसपीई कर्मचारियों के अधिकार और लाभ सुरक्षित रह सकें।

सभा में आशा बहुओं के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। वक्ताओं ने आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने तथा उनका न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग की। साथ ही आभा और आयुष्मान कार्ड बनाने के बकाया भुगतान को जल्द जारी करने की बात कही गई। आशा और संगिनी के पूरे परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने की भी मांग रखी गई।

उत्तर प्रदेश भवन निर्माण मजदूर सभा ने श्रम मंत्री अनिल राजभर को संबोधित पत्र भी प्रेषित किया। पत्र में पंजीकृत मजदूरों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मांग की गई। सभा का कहना था कि आधार सत्यापन और मोबाइल नंबर पंजीकरण में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर नवीनीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। इसके समाधान के लिए गांव-गांव में विशेष शिविर लगाने की मांग भी की गई। प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया और अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा।

ग्रेटर नोएडाः पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पार्क में पेड़ से लटका मिला शव

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के कच्ची सड़क स्थित शीला फोम फैक्ट्री के समीप पार्क में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराई। युवक की पहचान बुलंदशहर के सहदेव के रूप में हुई है। वह हबीबपुर गांव में किराये पर रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि युवक ने पारिवारिक कलह में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को बुधवार की सुबह कच्ची सड़क के समीप पार्क में एक युवक का शव पेड़ से गमछे के सहारे लटके होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्त कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि मरने वाला युवक 30 वर्षीय सहदेव है। सूचना पर पीड़ित स्वजन भी पहुंच गए। जांच में सामने आया कि पारिवारिक कलह के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ईकोटेक तीन कोतवाली प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि युवक की शादी हो चुकी है। दो बच्चे भी है। पिछले कुछ दिनों से घर में पारिवारिक कलह चल रही थी। पीड़ित परिवार ने कोई शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बलिया में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह और लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। जनपद में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न बैंक कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर जिले के बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज ठप रखा और विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग है। बैंक कर्मचारियों ने बताया की कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अन्य सरकारी विभागों की तरह बैंकों में भी सप्ताह में केवल पांच दिन ही कार्य हो तथा सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए। वर्तमान में बैंक केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। यूनियनों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में सहमति बन चुकी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से औपचारिक मंजूरी नहीं दी गई है।

इसके अलावा बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार नए लेबर कोड का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए श्रम कानून कर्मचारियों के हित में नहीं हैं और इससे नौकरी की सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। यूनियन नेताओं का आरोप है कि इन नियमों से भविष्य में कार्य परिस्थितियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

हड़ताल के कारण जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं में ताले लटके रहे, जिससे नकद लेन-देन, चेक क्लियरेंस और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं ग्राहकों ने सरकार और बैंक प्रबंधन से जल्द समाधान निकालने की अपील की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

किशोरी व युवती के अपहरण का केस दर्ज

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही दिखेगा
पुलिस 112 आपात सेवाएं

लालगंज, प्रतापगढ़। अलग अलग घटनाओं में किशोरी व युवती के अपहरण को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लीलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित का आरोप है कि बीती दस फरवरी की रात करीब आठ बजे उसकी चौदह वर्षीया पुत्री को गांव का ही मीजान पुत्र मो0 सलीम बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उदयपुर थाना क्षेत्र के गांव की पीड़िता का आरोप है कि बीती ग्यारह फरवरी की शाम करीब चार बजे उसकी तेईस वर्षीया पुत्री को अज्ञात युवक अपहृत कर ले गया। जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

लुटेरी दुल्हन गैंग गिरफ्तार, शादी के नाम पर ठगी

● पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दूल्हे से मांगे 64 हजार, जान से मारने की धमकी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुल्तानपुर- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी शादियां कराकर दूल्हों से पैसे और जेवर ऐंठता था और पैसे न देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता था। यह मामला तब सामने आया जब राजस्थान के करौली निवासी जगदीश पुत्र नानक राम ने 11 फरवरी 2026 को धनपतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे रोहिताश की शादी के लिए देवरिया आए थे। शादी के बाद, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 110 किलोमीटर कैंटीन के पास, शशि और सुमन नामक महिलाओं ने उनकी गाड़ी रुकवाकर 64,000 रुपये की मांग की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, पैसे न देने पर महिलाओं ने अपने गिरोह के सदस्यों को बुलाकर जान से मारने की धमकी दी। डरकर जगदीश ने तुरंत 7,000 रुपये दिए। हालांकि, शशि ने और पैसों की मांग जारी रखी और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगी, जिससे उन्हें इस गिरोह पर शक हुआ। जांच में पता चला कि राजपाल और सुनील के नेतृत्व में यह गिरोह निशारानी, जलसा और शशि जैसे साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से फर्जी शादियां कराता था। उनका मकसद भोले-भाले लोगों को झांसे में लेकर अवैध रूप से पैसे और जेवरात लूटना था। यदि कोई विरोध करता, तो वे जबरन वसूली करते और जान से मारने या झूठे बलात्कार व लड़की खरीद-फरोख्त के मुकदमों में फंसाने की धमकी देते थे।

जिस दुल्हन सुमन से रोहिताश की शादी कराई गई थी, उसका असली नाम मुस्कान है। वह पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। उसका पति परवेज है और वह फर्जी तरीके से हिंदू बनी थी। यह गिरोह घुमंतू किस्म का है और ठगी व लूट को अपना पेशा बना चुका है। रोहिताश की शादी के समय चांदी की पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र और माता जी का एक हार भी सुमन उर्फ मुस्कान के पास है, जिसे उन्होंने हड़प लिया था। थाना प्रभारी नंदलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुनील कुमार (निवासी विशुनपुर, बेतालपुरा, देवरिया), मुस्कान उर्फ सुमन उर्फ प्रियंका (निवासी लंगड़ा बाजार, भलुअनी, देवरिया), शशि भारती (निवासी बेतालपुर, देवरिया) और रानी निशा (निवासी लंगड़ा बाजार, भलुअनी, देवरिया) को बेनीपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया।